

27/12
9.5.18

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाह्य
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प बाह्य

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बाह्य व भूअ.नि. लीपन की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बाह्य नायब तहसीलदार बाह्य की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बाह्य तहसील बाह्य जिला बाह्य की जमाबन्दी सम्वत् 2010-73 में खाता संख्या 188 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>बाह्य</u>	188	राजकीय उच्च प्रशासनिक विद्यालय <u>बाह्य</u>	राजकीय उच्च उच्च प्राथमिक विद्यालय <u>बाह्य</u>

(बाह्य)पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, बाह्य

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाह्य को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री बाह्य को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालतउपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,
बाह्य